पत्रांक/3763/आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनुभाग/पत्रा–59/14–15/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

दिनांक:: देहरादून 20 नवम्बर, 2014

–:परिपत्र:–

मुख्यालय के परिपत्र संख्या 43/आयु0 क0 उत्तरा0 /विधि – अनु0 /2011 – 12 वाणि0 क0/देहरादून/दिनांक 05 अप्रैल 2011 से ऑन लाइन दाखिल पंजीयन प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये गये थे । इसी कम में परिपत्र संख्या 2539/दिनांक 06 सितम्बर 2014 द्वारा व्यापार स्थल की जॉच के समय फोटोग्राफ लेकर अपलोड करने के सम्बन्ध में व परिपत्र संख्या 2324/दिनांक 23 सितम्बर 2014 द्वारा संवेदनशील मामलों में खण्ड में तैनात असिस्टैन्ट कमिश्नर एवं गैर संवेदनशील मामलों में खण्ड में तैनात वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा जॉच किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गये थे। वर्तमान प्रचलित व्यवस्था व अद्यतन स्थिति को स्पष्ट करने के उददेश्य से पूर्व में पंजीयन जारी किये जाने से सम्बन्धित उपरोक्त परिपत्रों को एकीकृत करते हुए तत्काल प्रभाव से निम्न निर्देश जारी किये जाते है।

::निर्देश:

1– संशोधित **नियम 7** के अनुसार केवल ऑन लाईन दाखिल (अपलोड) पंजीयन प्रार्थना पत्र ही स्वीकार किये जाएगें।

2– प्रार्थना पत्र विभागीय वैबवाईट www.comtax.uk.gov.in के माध्यम से अपलोड किये जायेगें।

3– साफटवेयर में ऐसी व्यवस्था है जिससे व्यापारी द्वारा प्रार्थना पत्र में घोषित किये गये मोबाईल फोन नम्बर पर एस0एम0एस0के माध्यम से अथवा ई– मेल अथवा दोनों से उसे यह सूचना (नोटिस) चली जाएगी कि एप्लीकेन्ट प्रार्थना पत्र अपलोड करने के 10 कार्य दिवसों के अन्दर इन्ट्रोडयूसर के साथ अपने खण्ड के **असिस्टैन्ट कमिश्नर अथवा वाणिज्य कर अधिकारी के समक्ष** उपस्थित हो।

4– संवेदनशील मामलों में पंजीयन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही खण्ड में तैनात असिस्टैन्ट कमिश्नर द्वारा एवं गैर संवेदनशील मामलों में पंजीयन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही खण्ड में तैनात वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा की जायेगी।

5– खण्ड के असिस्टैन्ट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी का दायित्व होगा कि वह प्रत्येक दिन विभागीय वैबसाईट खोलकर अपलोड किये गये प्रार्थना पत्र को देखे और उनके निस्तारण हेतु आवश्यक तैयारी रखें। विभागीय Intranet Application पर login करके रजिस्ट्रेशन मॉडयूल में Enter किया जा सकता है। Enter करने पर पंजीयन सम्बन्धी लम्बित प्रार्थना पत्र Screen पर उपलब्ध हो जायेगा ।

6– एप्लीकेन्ट का दायित्व होगा कि वे निम्न कार्यवाही पूर्ण करके निर्धारित समयावधि में दाखिल किये गये पंजीयन प्रार्थना पत्र की प्रकृति के अनुसार अपने असिस्टैन्ट कमिश्नर अथवा वाणिज्य कर अधिकारी अथवा इस कार्य हेतु अधिकृत अन्य अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो तथा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करे:–

(i) ऑन लाईन दाखिल किये किये पंजीयन प्रार्थना पत्र (Annexure, एवं फीस के चालान के साथ) का प्रिन्ट आउट।

(ii) उन सभी दस्तावेजों की छाया प्रतियों का सैट, जो प्रार्थना पत्र में घोषित किये गये है तथा पैन कार्ड की छाया प्रति ।

(iii) सत्यापन हेतु वे सभी दस्तावेज मूलरुप में जो प्रार्थना पत्र में घोषित किये गये है तथा पैन कार्ड मूलरुप में।(सत्यापनोंपरान्त मूल दस्तावेज एपलीकेन्ट वापस ले जायेगें ।)

(iv) एप्लीकेन्ट तथा इन्ट्रोडयूसर को छोडकर अन्य सभी व्यक्तियों के पूर्ण हस्ताक्षर प्रार्थना पत्र में निर्धारित स्थान पर कराकर ही प्रिन्टआउट प्रस्तुत किया जायेगा ।

(v) एप्लीकेन्ट एवं अन्य व्यक्तियों के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यथा –स्थान चिपकाकर ही प्रिन्टआउट प्रस्तुत किया जायेगा ।(यदि ऐसे फोटोग्राफ स्कैन करके अपलोड किये गये है और वे स्पष्ट है तो फोटोग्राफ चिपकाने की आवश्यकता नही होगी ।

(vi) एप्लीकेन्ट को छोडकर शेष व्यक्तियों के फोटोग्राफ, हस्ताक्षरित/स्वप्रमाणित होगे।

(vii) एप्लीकेन्ट एवं इन्ड्रोडयूसर द्वारा यथा –स्थान हस्ताक्षर असिस्टैन्ट कमिश्नर अथवा वाणिज्य कर अधिकारी के समक्ष किये जाएगें ।

7– एप्लीकेन्ट एवं इन्ट्रडयूसर के उपस्थित होने पर असिस्टैन्ट कमिश्नर अथवा वाणिज्य कर अधिकारी(दाखिल किये गये पंजीयन प्रार्थना पत्र की प्रकृति के अनुसार) का दायित्व होगा कि **वे उसी दिन** निम्न कार्यवाही पूर्ण करेः–

(i) सुनिश्चित करे कि प्रस्तुत किया गया प्रिन्टआउट,ऑन लाईन अपलोड किये गये प्रार्थना पत्र का ही प्रिन्टआउट है।

(ii) प्रार्थना पत्र के प्रिन्टआउट पर निर्धारित स्थानों पर तथा प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेजों की प्रतियों के नीचे एप्लीकेन्ट के दिनांकित हस्ताक्षर अपने समक्ष करवाये ।

(iii) एप्लीकेन्ट के फोटोग्राफ से एप्लकैन्ट का मिलान करतें हुये उसकी फोटोग्राफ पर उसके हस्ताक्षर अपने समक्ष करवाये ।

(iv) इन्ट्रोड्यूसर के हस्ताक्षर यथास्थान अपने समक्ष करवायें ।

(v) मूल दस्तावेजों के आधार पर उनकी दाखिल समस्त छाया प्रतियों को सत्यापित करे तथा सत्यापन के प्रमाण स्वरुप प्रत्येक सत्यापित प्रति पर **"मूल से सत्यापित"** लिखकर दिनांक सहित पूर्ण हस्ताक्षर करे और अपने नाम व पदनाम की स्पष्ट मोहर लगाये।

(vi) उक्त समस्त कार्यवाही करने के उपरान्त प्रार्थना पत्र (प्रिन्ट आउट)के प्रथम पृष्ठ पर सत्यापन एवं अन्य कार्यवाही पूर्ण लिखकर दिनांकित पूर्ण हस्ताक्षर एवं नाम व पदनाम की मोहर अंकित करें।

8–व्यौहारी द्वारा दाखिल किये गये पंजीयन प्रार्थना पत्र (समस्त अनुलग्नको सहित) के प्रिन्ट आउट को असिस्टैन्ट कमिश्नर/**वाणिज्य कर अधिकारी अपने समक्ष** सम्बन्धित कर्मचारी से **स्कैन** करायेगें।

09 कार्यालय में वाणिज्य कर अधिकारी अथवा असिस्टैन्ट कमिश्नर के **अवकाश** पर होने की स्थिति में सत्यापन संबन्धी कार्यवाही कार्यालय में **उपस्थित अधिकारी (वाणिज्य कर अधिकारी** यदि असिस्टैन्ट कमिश्नर **अवकाश** पर है तथा **असिस्टैन्ट कमिश्नर** यदि वाणिज्य कर अधिकारी **अवकाश** पर है) द्वारा की जायेगी ।

10–वाणिज्य कर अधिकारी के **अवकाश** पर होने की अवधि में सम्बन्धित खण्ड के असिस्टैन्ट कमिश्नर का यह दायित्व होगा कि वे गैर संवेदनशील मामलों में सत्यापन की कार्यवाही करने के उपरान्त **दो दिन** के अन्दर व्यापारी को टिन भी जारी कर दें। शेष कार्यवाही वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा की जायेगी ।

11– परिपत्र संख्या **2539 दिनांक 06–09–2014** द्वारा व्यौहारी के व्यापार स्थल की पंजीयन जॉच के समय सम्बन्धित अधिकारी द्वारा फोटोग्राफ लेकर उसे वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में की

जाने वाली कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश प्रदान किये गये है अतः वर्तमान में **समस्त सवेदनशील /गैर संवेदनशील मामलों में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उक्त परिपत्र में वर्णित व्यवस्था के अनुसार पंजीयन जारी किये जाने हेतु कारोबार के घोषित मुख्यालय (व्यापार स्थल),ब्रान्च एवं गोदामों के फोटो ग्राफ लेकर वेबसाइट पर Utility के माध्यम से अपलोड किये जायेगे।**

इस संबध में संवेदनशील तथा गैर संवेदनशील मामलों में **निम्नवत प्रकिया** अपनायी जायेगी

(i) सवेदनशील मामलें	**(ii)गैर संवेदनशील मामलें**
[illegible] अलग से परिपत्र जारी किया गया है) में पंजीयन संबधी अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही असिस्टैन्ट कमिश्नर द्वारा बिन्दु संख्या 07 के अनुसार पूर्ण करने के उपरान्त व्यापार स्थल की जॉच तथा सर्वेक्षण,तथा अन्य अपेक्षित जॉच एवं Geo-tagging से सम्बन्धित कार्यवाही परिपत्र संख्या 2539 /दिनांक 06 सितम्बर 2014के अनुसार) अभिलेखों के सत्यापन होने के उपरान्त **पच्चीस दिन** के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।	[a] बिन्दु 07 की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त **गैर संवेदनशील मामलों** में वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र **नियमानुसार** होने पर **दो कार्यदिवसों** के अन्दर व्यापारी को टिन नंबर मयप्रभावी दिनांक के आवटित कर दिया जायेगा इसकी सिस्टम जनरेटेड सूचना प्रार्थना पत्र में व्यापारी द्वारा घोषित मोवाइल फोन, ई मेल पर चली जायेगी।
[b]– उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त पंजीयन प्रार्थना पत्र **नियमानुसार** पाये जाने पर **दो दिन** के अन्दर असिस्टैन्ट कमिश्नर द्वारा अधिनियम के प्राविधानो के अनुसार जमानत मॉगने का आदेश कर दिया जायेगा व जमानत जमा कर देने के **दो दिन** के अन्दर व्यापारी को टिन जारी कर दिया जायेगा ।	[b]– वाणिज्य कर अधिकारी के द्वारा टिन जारी करने के उपरान्त पंजीयन सम्बन्धी व्यापार स्थल की जॉच व सर्वेक्षण तथा परिपत्र संख्या 2539 दिनांक 06 सितम्बर 2014 के अनुसार Geo-tagging से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही **25 दिन** के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।
	[c]– **गैर संवेदनशील मामलों** में पंजीयन देने से पूर्व जमानत की मॉग नही की जायेगी परन्तु यदि बाद में ऐसे तथ्य उपलब्ध होते है जिनके आधार पर जमानत मॉगे जाने की आवश्यता हो तो अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार जमानत की मॉग की जा सकती है।
[c] आवंटन के सम्बन्ध में टिन एवं उसके प्रभावी दिनांक का अंकन प्रार्थना पत्र के प्रथम पृष्ठ पर करते हुए असिस्टैन्ट कमिश्नर द्वारा दिनांकित हस्ताक्षरित करते हुए अपने नाम व पदनाम की स्पष्ट मोहर अंकित कर दी जायेगी तथा पत्रावली सम्बन्धित कर्मचारी को प्राप्त करा दी जायेगी।	[d] आवंटन के सम्बन्ध में टिन एवं उसकी प्रभावी दिनांक का अंकन प्रार्थना पत्र के प्रथम पृष्ठ पर करते हुए वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा दिनांकित हस्ताक्षरित करते हुए अपने नाम व पदनाम की स्पष्ट मोहर अंकित कर दी जायेगी तथा पत्रावली सम्बन्धित कर्मचारी को प्राप्त करा दी जायेगी।

12– टिन जारी होने के अगले कार्यदिवस तक पंजीयन प्रमाण पत्र **(मूल रुप में)**,घोषित व्यापार स्थल पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से पोस्ट कर दिया जायेगा । कार्यालय में व्यक्तिगत रुप से यह प्रमाण पत्र व्यापारी अथवा उसके प्रतिनिधि को नही दिया जायेगा।

13— नियम 7(2) के द्वितीय प्रोवेजों के प्राविधानों के अनुसार वह पंजीयन प्रार्थना पत्र प्राप्त नही किया जायेगा जो कि **अधूरा हो** और जिसके साथ वांछित अनुलग्नक एवं दस्तावेज दाखिल न किये गये हो ऐसा अधूरा प्रार्थना पत्र वैट नियमों के अन्तर्गत दाखिल किया गया विधिक प्रार्थना पत्र नही माना जायेगा।

14— गैर संवेदनशील मामलों में वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा टिन जारी करने के उपरान्त यदि असिस्टैन्ट कमिश्नर समझते है कि व्यापार स्थल की जॉच अथवा किसी बिन्दु विशेष पर जॉच कराना आवश्यक है,अथवा व्यापारी द्वारा दाखिल किसी दस्तावेज जॉच करने वाले व्यक्ति/अधिकारी से सत्यापन करवाना आवश्यक है ,अथवा प्रार्थना पत्र में घोषित तथ्य अन्य स्रोत से जॉच कराना आवश्यक है तो वे एसी जॉच अपने अधीनस्थ अधिकारी से करवा सकते है तथा जहॉ वे आवश्यक समझे स्वयं भी कर सकते हैं अथवा व्यापारी से भी अतिरिक्त दस्तावेज मॉग सकते है ।.

15— e-Registration जारी करने की प्रकिया से सम्बन्धित सॉफटवेयर में किसी तकनीकी समस्या या अन्य किसी समस्या के संबध में टोल फ्री नं 1800—266—2277 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

उक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर
उत्तराखण्ड

3463
पृ0प0सं0 /दिनांक उक्त। 20-11-14

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

2— सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

3— एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमांऊ जोन रूद्रपुर।

4— एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

5— **ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

6— ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

7— **ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधिनस्थ समस्त**अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8— **मौ0 शहाब अली, डिप्टी कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं** Web-Information Officer **को विभागीय** Website **पर** Update **करने हेतु।**

09— डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, नैनीताल।

10—अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्यौगिक क्षेत्र देहरादून।

11— प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।

12— दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।

13– प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेडिंग कम्पनी 81– मोती बाजार देहरादून।

14– The whole sale dealers Association 14– आढ़त बाजार देहरादून।

15– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।

16– कार्यालय अधीक्षक/विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

17– समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।